

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला साई कृष्ण, आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 08/2024 वाद

GCMS No. 2024/16

श्री हर्षित सोनी पुत्र बसन्तीलाल जी सोनी, आयु 25 वर्ष, निवासी 33, जाड़ा गणेश
जी का चौक, चांदपोल, उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. श्रीमती अमरी बाई पत्नी धूलचन्द जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती अमरी बाई पत्नी भीमा जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी नन्दकिशोर जी सोनी (स्वर्णकार), आयु 50 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 12, लुहारों का मोहल्ला, बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. गंगा बाई पुत्री परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री गमेरा पुत्र परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री रमेश पुत्र धन्ना जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री रतन पुत्र धन्ना जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री पेमा पुत्र सवा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री मेगा पुत्र परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री वेला पुत्र सवा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री खेमराज पुत्र हीरा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री कन्हैयालाल पुत्र हीरा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
13. हीरा बाई पुत्री परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, कुराबड़, जिला उदयपुर प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री धर्मवीर सिंह पंवार अधिवक्ता वादी
2. श्री काशीराम मेघवाल अधिवक्ता प्रतिवादी 7,9
3. श्री कल्पित जैन पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 24.02.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजस्व ग्राम बम्बोरा, पटवार हल्का बम्बोरा, तहसील कुराबड़ के आराजी संख्या 2472 रकबा 0.1700 हैक्टेयर का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उपरोक्त आराजी में वादी का हक, हित एवं अधिकार होकर हिस्सा है वे खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को मौखिक प्रस्ताव किया कि शामलाती भूमि का मौके पर आपस में विधिक बंटवाडा कर लेवें, जिससे किसी पक्ष को नुकसान नहीं होगा और हर पक्षकार को अपने हिस्से में लागत लगाने अथवा रूपान्तरित करवाने में सहूलियत हो जावेगी, लेकिन प्रतिवादीगण बंटवाडा के लिए तैयार नहीं है, जिससे यह दावा लाना आवश्यक हो गया है। खातेदार दोली बाई, तेजा, धन्ना, हीरा एवं नाथु की मृत्यु हो गई है एवं उनके बजाय उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के मध्य खाते के अनुसार वर्णित आराजीयात का मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन कराया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे, मौके पर भूमि का अलग कब्जा सिपुर्द कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा फरमायी जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2025 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कुराबड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार कुराबड़ द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांक: राजस्व/प्रा.डिक्री/2026/232 दिनांक 17.02.2026 को बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पर वादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गई। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :-



2024/16

1- हर्षित सोनी पुत्री बसन्तीलाल सोनी जाति सोनी निवासी 33, जाड़ा गणेशजी का चौक, चांदपोल उदयपुर खातेदार


आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2472/1	0.0807	बी.द्वि.	0.14
किता 1	रकबा 0.0807		लगान 0.14

2- अमरी बाई पत्नि धुलचन्द जाति डांगी 1750/8930 हि. अमरी बाई पत्नि भीमा जाति डांगी 1080/8930 हि. इन्द्राबाई पुत्री पुनमचन्द सोनी 425/8930 हि. गंगाबाई पुत्री परथा गायरी जाति गायरी 470/8930 हि. गमेरा पुत्र परथा जाति गाडरी 470/8930 हि. गौतमलाल पुत्र तेजा जाति गाडरी 140/8930 हि. दोलीबाई पुत्री सवा जाति गाडरी 570/8930 हि. नाथु पुत्र सवा जाति गाडरी 570/8930 हि. पेमा पुत्र सवा गाडरी जाति गाडरी 570/8930 हि. मेगा पुत्र परथा जाति गाडरी 470/8930 हि. महेन्द्र पुत्र तेजा जाति गाडरी 140/8930 हि. रतनलाल पुत्र धन्ना जाति गायरी 160/8930 हि. रमेश पुत्र धन्ना जाति गायरी 160/8930 हि. लक्ष्मीबाई पुत्री धन्ना जाति गायरी 160/8930 हि. लिमडी बाई पत्नि सव. तेजा जाति गाडरी 140/8930 हि. वेला पुत्र सवा जाति गाडरी 565/8930 हि. शिवलाल पुत्र तेजा जाति गाडरी 140/8930 हि. हीरा पुत्र परथा जाति गाडरी 475/8930 हि. हीराबाई पुत्री परथा जाति गाडरी 475/8930 हि. निवासीयान देह खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2472/2	0.0893	बी.द्वि.	0.16
किता 1	रकबा 0.0893		लगान 0.16

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा राजस्व ग्राम बम्बोरा, पटवार हल्का बम्बोरा, तहसील कुराबड़ के आराजी संख्या 2472 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विभाजन की कलम संख्या एक में वर्णित वादी के हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे। तहसीलदार कुराबड़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैंसल शुमार हो नम्बर से कम हो।


(अवुला साई कृष्णा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा - दयपुर

डिक्री व मुकदमे इबतदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी अवुला साई कृष्ण, आई.ए.एस. मुकदमा 08 / 2024 सन 2024 सीगह वाद श्री हर्षित सोनी पुत्र बसन्तीलाल जी सोनी, आयु 25 वर्ष, निवासी 33, जाड़ा गणेश जी का चौक, चांदपोल, उदयपुर (राज.) बनाम (1)श्रीमती अमरी बाई पत्नी धूलचन्द जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (2)श्रीमती अमरी बाई पत्नी भीमा जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (3)श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी नन्दकिशोर जी सोनी (स्वर्णकार), आयु 50 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 12, लुहारों का मोहल्ला, बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (4)गंगा बाई पुत्री परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (5)श्री गमेरा पुत्र परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (6)श्री रमेश पुत्र धन्ना जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (7)श्री रतन पुत्र धन्ना जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (8)श्री पेमा पुत्र सवा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (9)श्री मेगा पुत्र परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (10)श्री वेला पुत्र सवा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (11)श्री खेमराज पुत्र हीरा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (12)श्री कन्हैयालाल पुत्र हीरा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (13)हीरा बाई पुत्री परथा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गायरियों की बस्ती, बम्बोरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.) (14)राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, कुराबड़, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अवुला साई कृष्ण, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री धर्मवीर सिंह परिहार, प्रतिवादी 7,9 अधिवक्ता काशीराम मेघवाल एवं कल्पित जैन पैरोकार सरकार की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

- 1- हर्षित सोनी पुत्री बसन्तीलाल सोनी जाति सोनी निवासी 33, जाड़ा गणेशजी का चौक, चांदपोल उदयपुर खातेदार

	आ.स.	रकबा	किस्म	लगान	
	2472 / 1	0.0807	बी.दि.	0.14	
किता	1	रकबा	0.0807	लगान	0.14

- 2- अमरी बाई पत्नि धूलचन्द जाति डांगी 1750 / 8930 हि. अमरी बाई पत्नि भीमा जाति डांगी 1080 / 8930 हि. इन्द्राबाई पुत्री पुनमचन्द सोनी 425 / 8930 हि. गंगाबाई पुत्री परथा गायरी जाति गायरी 470 / 8930 हि. गमेरा पुत्र परथा जाति गाडरी 470 / 8930 हि. गौतमलाल पुत्र तेजा जाति गाडरी 140 / 8930 हि. दोलीबाई पुत्री सवा जाति गाडरी 570 / 8930 हि. नाथु पुत्र सवा जाति गाडरी 570 / 8930 हि. पेमा पुत्र सवा गाडरी जाति गाडरी 570 / 8930 हि. मेगा पुत्र परथा जाति गाडरी 470 / 8930 हि. महेन्द्र पुत्र तेजा जाति गाडरी 140 / 8930 हि. रतनलाल पुत्र धन्ना जाति गायरी 160 / 8930 हि. रमेश पुत्र धन्ना जाति गायरी 160 / 8930 हि. लक्ष्मीबाई पुत्री धन्ना जाति गायरी 160 / 8930 हि. लिमडी बाई पत्नि सव. तेजा जाति गाडरी 140 / 8930 हि. वेला पुत्र सवा जाति गाडरी 565 / 8930 हि. शिवलाल पुत्र तेजा जाति गाडरी 140 / 8930 हि. हीरा पुत्र परथा जाति गाडरी 475 / 8930 हि. हीराबाई पुत्री परथा जाति गाडरी 475 / 8930 हि. निवासीयान देह खातेदार

2024/16

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
2472/2	0.0893	बी.दि.	0.16
किता 1	रकबा 0.0893		लगान 0.16

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा राजस्व ग्राम बम्बोरा, पटवार हल्का बम्बोरा, तहसील कुराबड़ के आराजी संख्या 2472 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विभाजन की कलम संख्या एक में वर्णित वादी के हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे। तहसीलदार कुराबड़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखेX.....रुपये की राशि.....X.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस परX.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहितX.....द्वाराX.....को दी जाए।

यह आज तारीख24..... माह02..... सन्2026..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
 पद

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		